

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/195
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00188
CICOM/A/2017/00478

दिनांक: 21.06.2017

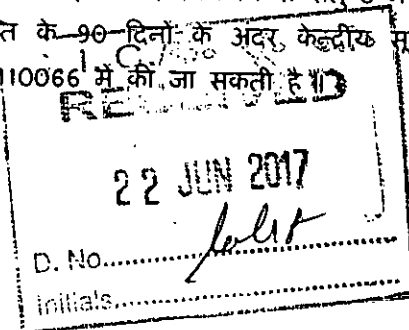
अपीलकर्ता : श्री आर.पी. दुआ,
एडवोकेट,
रजिस्ट्री ऑफिस के उत्तर,
दीवानी कचहरी, इलाहाबाद,
उत्तर प्रदेश ।

निर्णय की तारीख: 21.06.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	08.04.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	12.05.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	09.06.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	141000/14.06.2017
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	242/16.06.2017

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से सूचना मांगी थी कि यूनीवर्सल सूगर प्राइवेट लि०, गांधीधाम, गुजरात, सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आती है या नहीं, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है।
2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 08.04.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। उल्लेखनीय है कि सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत केवल केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत लोक प्राधिकरण ही आते हैं। निजी कंपनियों सूचना अधिकार अधिनियम के दायरे में नहीं आती हैं। साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि केन्द्रीय सूचना आयोग सूचना अधिकार अधिनियम के तहत केवल केन्द्र सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों/विभागों/उपक्रमों के विरुद्ध द्वितीय अपीलीय अधिकरण है। राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालय/विभाग/उपक्रम केन्द्रीय सूचना आयोग के प्रशासनिक/न्यायायिक क्षेत्र में नहीं हैं, इसलिए यूनीवर्सल सूगर प्राइवेट लि०, गांधीधाम, गुजरात से संबंधित कोई सूचना केन्द्रीय सूचना आयोग में उपलब्ध नहीं है।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर, केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।



राकेश
(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

Asm
22/06/17